पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी, प्रार्थी का नाम ख.सं. 274, 273, 202 में शंकर सिंह पुत्र भोलू राम [illegible] 316, 270, 269, 204, 203 में शंकरलाल पुत्र भोलूराम दर्ज है। प्रार्थी के परिवार के आधार कार्ड, पहचान पत्र में शंकर सिंह चौधरी पुत्र भोला राम चौधरी दर्ज है। अतः उपरोक्त समस्त खातों में शंकर सिंह पुत्र भोलू व शंकरलाल पुत्र भोलूराम के स्थान पर शंकर सिंह चौधरी पुत्र भोला राम चौधरी दुरस्त किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमान
प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर इन्द्राज दुरस्ती योग्य है।

भू.अ.नि.
27/09/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

प.ह० की रिपोर्ट व भू-अ०नि० की प्लोन के आधार पर दुरस्ती की अनुशंसा की जाती है।

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
612

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

क्रमांक / 246

दिनांक:– 1/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है **एवं इस** दुरूस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम ...भोलूराम.....तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्...2024-25..... के खाता संख्या 274, 273, 202, 316, 270, 269, 204, 203 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध कर जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	शंकर सिंह पुत्र भोलू व शंकरलाल पुत्र भोलूराम जाति: जाट दोस बकस्तूर	उपरोक्त वर्णित ख.सं. के अनुसार		1) शंकर सिंह पुत्र भोलाराम चौधरी जाति: जाट दोस बकस्तूर		

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:55:32 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक:- 522-12
प्रतिलिपि 1) TDR, SDO को पालनार्थ
2) ओपरा पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर

दि. - 1/10/25